राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 120 / 2022

पूनम देवी पुत्री धर्मपाल पत्नी मनोज कुमार जाति गुर्जर उम्र 23 वर्ष निवासी बूरका तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादिया

ब–ना–म

1. पप्पुलाल पुत्र महाबीर उम्र 45 वर्ष
2. अनिता पुत्री महाबीर उम्र 22 वर्ष
3. इन्द्राज पुत्र महाबीर उम्र 35 वर्ष
4. गीता पुत्री महाबीर उम्र 25 वर्ष
5. नाथी पुत्री महाबीर उम्र 30 वर्ष
6. पूर्ण सिंह पुत्र महाबीर उम्र 28 वर्ष
7. माडूराम पुत्र महाबीर उम्र 26 वर्ष
8. संतोष पुत्री महाबीर उम्र 40 वर्ष
9. सुमेर सिंह पुत्र महाबीर उम्र 24 वर्ष
10. बनारसी देवी पत्नी महाबीर उम्र 65 वर्ष
11. घीसू देवी पत्नी सरदारा उम्र 50 वर्ष
12. जगदीश पुत्र नाराना उम्र 60 वर्ष
13. जयराम पुत्र नाराणा उम्र 52 वर्ष
14. पप्पूराम पुत्र श्रीराम उम्र 30 वर्ष
15. भगत पुत्र नाराना उम्र 40 वर्ष
16. मनोज कुमार पुत्र सरदारा उम्र 21 वर्ष जाति गुर्जर निवासी बूरका तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
17. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पपुरना जरिये शाखा प्रबंधक।
18. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
19. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार, खेतड़ी।

.........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

दिनांक 02–11–2022

:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 14:41:40 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27–02–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम बूरका, तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या 31 खसरा नंबर 158, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 196, 230, 231, [illegible] 59,

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

415/71, 417/71, 42, 424/41, 458/71, 46, 478/200, 65, 66 कुल किता 20 कुल रकबा 8.50 है. में वादिया का 3/40 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 13 का 1/10 हिस्से का अलग–अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/4075 दिनांक 28.09.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–09–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–09–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–10" व "ब") का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–09–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–10" व "ब") के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–09–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–10" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–09–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–10" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–"ब" के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 14:41:40 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

पूनम देवी

ब–ना–म

पप्पुलाल आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन**

मुकदमा नम्बर :– **120 / 2022**

निर्णय दिनांक :– **02–11–2022**

वादी की ओर से **श्री अमर सिह गुर्जर एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री रामसिंह अवाना एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **02–11–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–09–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–10" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–09–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–10" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **02–11–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 14:41:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner